संख्या–218 / 9–आ–3–98–100विविध / 97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–16 मार्च, 1998

विषय : नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या 3369 / 9–आ–3–98–100वि0 / 97, दिनांक 24 जनवरी, 1998 का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त अधिसूचना द्वारा सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा–14 तथा 15 या तदधोन बनाये गये नियमों विनियमों या उपविधियों अथवा निर्देशों से उक्त अधिनियम की धारा–53 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। कतिपय प्राधिकरणों ने यह जिज्ञासा की है कि उक्त सेवा से संबंधित निर्माणों को महायोजना एंव जोनिंग रेगुलेशंस में किस भू–उपयोग के अन्तर्गत रखते हुए अनुमति प्रदान की जायेगी।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेलुलर मोबाइल संचार प्रणाली एक इन्फ्रास्टक्चर सेवा है जिसकी आवश्यकता सभी भू–उपयोगों में होती है। इन्फ्राक्ट्रक्चर सेवायें यथा सड़क, नाली, सीवर, विद्युत खम्भे, टावर, ट्रांसफारमर, टेलीफोन के खम्भे / टावर आदि किसी भी भू–उपयोग में बिना किसी प्रतिबन्ध के लगायी जा सकती है। सेलुलर मोबाइल संचार सेवा भी अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के ही समान है। अतः इसके लिए आवश्यक टावर व संलग्न रेडियो एक्यूपमेंट व जनरेटर कक्ष भी महायोजना में समस्त भू–उपयोगों में उसी प्रकार अनुमन्य किया जाये, जिस प्रकार से अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें अनुमन्य है। कृपया उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यही व्यवस्था शमन की कार्यवाहियों पर लागू होगी।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 218(1) / 9–आ–3–98–100 विविध / 97 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को सूचनार्थ।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

एच. पी. सिंह
अनु सचिव